

उत्तराखण्ड शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-2,
संख्या —/18-XIX-2/61 खाद्य/2013,
देहरादून: दिनांक २६ दिसम्बर, 2018

अधिसूचना
नियुक्ति

तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-16 की उपधारा (3) तथा उपधारा (4, 5, 6) के अधीन श्री भूपेन्द्र सिंह रावत, पुत्र स्व० श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी- राजीव नगर (पूर्वी), बिन्दुखत्ता, पो0ओ0 लालकुआं, जिला- नैनीताल को उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग, देहरादून के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, की अवधि तक के लिये नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह रावत को इस अवधि में अनुमन्य वेतन एवं भत्तों के निर्धारण हेतु निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(आनन्द बर्द्धन),
प्रमुख सचिव

संख्या —/18-XIX-2/61 खाद्य/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि:निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(रणवीर सिंह चौहान),
अपर सचिव

संख्या 819/18-XIX-2/61 खाद्य/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- 3- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग, देहरादून।
- 7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला शिकायत निवारण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- वित्त नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 10- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 11- सम्बन्धित व्यक्ति।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(रणवीर सिंह चौहान),
अपर सचिव